

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(8)2021/गोप्र/प्रमुखसं/

दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 में वर्णित संशोधित नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 की अभिशंपानुसार प्रशासनिक अधिकारी को संस्थापन अधिकारी के पद पर वेतनमान 60700-192000, L-15 (6000) में वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह - योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम श्री	पिता का नाम श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	मुन्ना लाल सोनी	राम लाल	मुख्य वन संरक्षक जयपुर	1.04.2021 (सेवानिवृत्त 31.05.2021)

उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवक, दिनांक 31.05.2021 को सेवानिवृत्त होने से उनको पदोन्नति पर देय वित्तीय लाभ वित्तीय सेवा नियमों के तहत काल्पनिक आधार पर देय होगा।

50

(डॉ०.डी.एन.पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन.वल.प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(8)2021/गोप्र/प्रमुखसं/ 5993-6000 | C

दिनांक 08.09.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
2. निजी सहायक मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज., जयपुर।
3. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
4. श्री.....द्वारा.....पालनार्थ।
5. अध्यक्ष मंत्रालयिक कर्मचारी समिति वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्मिक स्ट्रेन्थ, कार्यालय हाजा।
8. रक्षी पत्रावली।

(सुरेश अग्रवाल)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर